संख्या–6 एस० एस०(6)68 / 2026– 4172 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 05/08/ 2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 में सात निश्चय–3 के तहत "बिहार राज्य में क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO), किसान उत्पादक समूह (FPG) एवं किसान हित समूह (FIG) के गठन एवं संचालन की योजना" हेतु ₹ 693.95 लाख मात्र की लागत पर योजना तथा वर्ष 2026–27 में ₹ 457.60 लाख मात्र राशि की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 में सात निश्चय–3 के तहत "बिहार राज्य में क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO), किसान उत्पादक समूह (FPG) एवं किसान हित समूह (FIG) के गठन एवं संचालन की योजना" हेतु ₹ 693.95 लाख मात्र की लागत पर योजना तथा वर्ष 2026–27 में ₹ 457.60 लाख मात्र राशि की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की मात्स्यिकी में व्यवसायिकरण को बढ़ावा देकर मत्स्य व्यवसाय में उद्यमिता विकसित करना है, जिससे राज्य के मत्स्य कृषकों/किसानों को संगठित मत्स्यपालन समूह के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, आहार, उर्वरक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ स्थानीय एवं विदेशी मत्स्य बाजार तक पहुँच, उचित विपणन मूल्य की प्राप्ति, विशेषज्ञों की तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय सुविधा सुलभ उपलब्ध हो सके। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से जहाँ एक तरफ राज्य के मत्स्यपालक, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (FFPO), किसान उत्पादक समूह (FPG) एवं किसान हित समूह (FIG) के माध्यम से संगठित हो सकेगा, वहीं दूसरी तरफ इन संगठनों के माध्यम से मत्स्य मूल्यवर्धन उत्पादों एवं प्रसंस्करण कर आंतरिक एवं विदेश मत्स्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे। साथ ही सात निश्चय–3 के "दोगुना रोजगार, दोगुनी आय और सबका सम्मान--जीवन आसान" के लक्ष्य को साकार

करने में सहायक भी होगा। उक्त योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जाएगा।

3. इस योजना के क्रियान्वयन से निम्न लाभ होने का अनुमान है:–

(i). मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (FFPO) के गठन से मत्स्यपालन में लागत (यथा बीज, खाद, दवाई आदि) में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सकेगी।

(ii). मत्स्य कृषकों को संगठित मत्स्य बाजार होने से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादों की बेहतर/ज्यादा कीमत प्राप्त हो सकेगा।

(iii). मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन के गठन से मुख्यतः छोटे एवं सीमांत मत्स्य कृषकों का सीधे थोक मत्स्य बाजार, कंपनी एवं मंडी से जुड़ाव हो सकेगा, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

(iv). मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन से जुड़े सदस्यों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगा।

(v). मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन के गठन से मत्स्य मूल्यवर्धन एवं प्रसंस्करण, मत्स्य निर्यात आदि को बढ़ावा मिल सकेगा।

(vi). मत्स्य कृषकों के समूह में काम करने पर उत्पादन में नुकसान का जोखिम कम हो सकेगा।

(vii). मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

4. मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) :–

4.1 FFPO का गठन :–

मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) के गठन एवं क्रियान्वयन की योजना के तहत प्रथम चरण में क्लस्टर क्षेत्रीय स्तर पर पाँच यथा– चम्पारण, मिथिला, तिरहुत, विक्रमशीला एवं शाहाबाद मत्स्य कृषक उत्पादक–संगठन का गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उक्त क्लस्टर –क्षेत्र विशेष FFPO-एक छतरी संगठन (FFPO) के रूप में विकसित की जाएगी तथा जिला स्तर पर FPG तथा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर FIG का गठन किया जायेगा ।

4.2 क्लस्टर क्षेत्रीय FFPO की संरचना :–

क्लस्टर क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) में उक्त क्षेत्राधीन जिलों के मत्स्य कृषक, मछुआरा, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता, मत्स्य उद्यमी एवं अन्य मात्स्यिकी गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। साथ ही राज्य में पूर्व से गठित एवं नवगठित तथा कार्यरत एफ०एफ०पी०ओ०/एफ०पी०ओ० क्षेत्रीय स्तर पर गठित क्लस्टर एफ०एफ०पी०ओ० के सदस्य होंगे।

4.3 क्षेत्रीय FFPO द्वारा किये जाने वाले व्यापक कार्य और गतिविधियाँ :–

क्षेत्रीय FFPO अपने संगठात्मक विकास हेतु यथावश्यक निम्न लिखित प्रासंगिक प्रमुख सेवाओं और गतिविधियों को प्रदान और शुरु कर सकते है –

(i) उत्पादन एवं उत्पादकता :–

(क) यथोचित थोक दरों पर मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, उर्वरक, मत्स्य जाल तथा अन्य इनपुट की आपूर्ति करना।

(ख) प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए सदस्यों हेतु आवश्यक इनपुट एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना।

(ग) मत्स्यपालन संबंधित अन्य गतिविधियों एवं नवाचार का प्रचार–प्रसार।

(घ) सीमांत मत्स्य कृषक/संगठन के सदस्यों के उत्पादन को एकत्रीकरण करना।

(ड.) साझा लागत के आधार पर जाल चलवाना, भंडारण, परिवहन, लोडिंग–अनलोडिंग आदि जैसी– लॉजिस्टिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

(ii) मत्स्य मूल्यवर्धन एवं प्रसंस्करण :–

(क) आवश्यकता अधारित प्रसंस्करण मशीनरी एवं स्टोरेज सुविधा जैसे बर्फ, आईस–बॉक्स, रेफरिजरेटेड/इनसुलेटेड/मोबाइल फिश कियास्क वाहन की सुविधा कस्टम हायरिंग के आधार पर उपलब्ध कराना।

(ख) मत्स्य उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए मत्स्य मूल्यवर्धन एवं प्रसंस्करण सुविधाएँ एवं तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(ग) Traceability से संबंधित कार्य में सहयोग प्रदान करना।

(घ) अधिक आय वाली मात्स्यिकी गतिविधियाँ जैसे उन्नत मत्स्य बीज/ ब्रुड फिश का उत्पादन, अलंकारी मछलियों का पालन एवं संवर्द्धन, कोल्ड चेन का विकास आदि गतिविधियों को प्रसारित एवं मत्स्य कृषकों को प्रेरित करना।

(iii) मत्स्य विपणन एवं ब्रांडिंग :–

(क) मत्स्य उत्पादन और विपणन में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

(ख) बेहतर एवं उचित बाजार भाव में मत्स्य उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करवाना।

(ग) स्थानीय बाजार के साथ–साथ विदेशी मत्स्य बाजारों तक संगठन के सदस्यों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

4.4 क्षेत्रीय (क्लस्टर) FFPO एवं सम्बद्ध जिलों की विवरणी :–

क्र०	क्षेत्रीय FFPO	सम्बद्ध जिला
1	चम्पारण	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर।
2	मिथिला	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा।
3	तिरहुत	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज।
4	शाहाबाद	पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर।
5	विक्रमशीला	भागलपुर, बांका, मुंगेर, पूर्णियाँ, जमुई, बेगुसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, अररिया, किशनगंज, कटिहार।

5. किसान हित समूह (FIG) का गठन एवं संरचना :–

(i). योजनान्तर्गत सक्रिय एवं एक सामान कार्य/गतिविधियों में रुचि रखने वाले/जुड़े मत्स्य कृषक/किसान, मछुआरा, उद्यमी, महिला समूहों एवं युवा एक्वाप्रेन्योर पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर एफ०आई०जी० का गठन किया जाएगा।

(ii). पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर एक से अधिक एफ०आई०जी० का गठन किया जा सकेगा।

(iii). किसान हित समूह (FIG) में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालक/कृषक, परम्परागत मछुआरा, तालाब–पट्टाधारक, स्वयं सहायता समूह सदस्य एवं युवा एक्वाप्रेन्योर को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv). प्रत्येक किसान हित समूह (FIG) में 10–20 सदस्यों का छोटा समूह होगा, जिसमें 25 से 30 प्रतिशत सदस्य महिला होगी।

(v). गठित एफ०आई०जी० को योजनान्तर्गत कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। साथ ही एफ०आई०जी० समूह को मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, परंतु विभागीय कार्यान्वित योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi). एफ०आई०जी० का निबंधन जिला स्तर पर जिला मत्स्य कार्यालय के द्वारा किया जाएगा।

6. किसान उत्पादक समूह (FPG) :–

6.1 किसान उत्पादक समूह (FPG) का गठन एवं संरचना–

(i). प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर गठित होने वाले एफ०आई०जी० समूहों के अध्यक्षों के द्वारा जिला स्तर पर केवल एक एफ०पी०जी० का गठन किया जा सकेगा।

(ii). प्रत्येक किसान उत्पादक समूह (FPG) में 10–20 सदस्यों का छोटा समूह होगा, जिसमें 25 से 30 प्रतिशत सदस्य महिला होगी।

(iii). एफ०पी०जी० का निबंधन जिला स्तर पर जिला मत्स्य कार्यालय के द्वारा किया जाएगा।

(iv). योजनान्तर्गत जिला स्तर पर गठित एफ०पी०जी० को 2.50 लाख राशि दिये जाने की अनुमान्यता होगी परंतु मताधिकार की अनुमान्यता नहीं होगी।

(v). एफ०पी०जी० समूह क्षेत्रीय एफ०एफ०पी०ओ० से सम्बद्ध होकर–गैर मताधिकार सदस्य के रूप में कार्य करेंगे अर्थात् एफ०पी०जी० को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(vi). एफ०पी०जी० के क्रियाकलाप, निष्पादित गतिविधियों एवं किये गये कार्यों की विधिवत समीक्षा/मूल्यांकन सम्बन्धित जिला मत्स्य कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन उपरांत संतोषजनक पाये जाने के पश्चात एफ०एफ०पी०ओ० के रूप में गठन हेतु अनुमान्यता होगी।

(vii). इन एफ०पी०जी० के एफ०एफ०पी०ओ० में विधिवत निबंधन के पश्चात क्लस्टर/क्षेत्रीय एफ०एफ०पी०ओ० के सदस्य होंगे तथा तत्पश्चात् एक मताधिकार प्राप्त होगा। तत्पश्चात इन्हें क्लस्टर एफ०एफ० पी०ओ० को देय सुविधा की अनुमान्यता होगी।

(viii). योजनान्तर्गत प्रथम चरण में विधिवत 15 एफ०पी०जी० का निबंधन/गठन जिला स्तर पर जिला मत्स्य कार्यालय में किया जाएगा। निबंधनोपरांत एफ०पी०जी० को योजनान्तर्गत देय लाभ की अनुमान्यता होगी।

6.2 किसान उत्पादक समूह (FPG)/किसान हित समूह (FIG) द्वारा किये जाने वाले व्यापक कार्य और गतिविधियाँ–

(i). उन्नत मत्स्य बीज एवं इनपुट की सामूहिक व्यवस्था :–

- किसान उत्पादक/हित समूह के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उन्नत मछली बीज (spawn/fingerlings), मत्स्य आहार (Fish feed), दवाइयाँ आदि थोक एवं सस्ती दर पर उपलब्ध कराना, जिससे लागत राशि घटे और मत्स्य उत्पादन बढ़े।

(ii). वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार :–

- उक्त समूह के सदस्यों को तकनीक आधरित आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्नत मात्स्यिकी तकनीक जैसे उच्च घनत्व मत्स्य पालन, बहु–प्रजाति मछली पालन (polyculture), और जलीय एवं मृदा गुणवत्ता प्रबंधन आदि विधि अपनाने के लिए प्रेरित करना।

(iii). सामूहिक मत्स्य विपणन एवं ब्रांडिंग :–

- मत्स्य उत्पादों की सामूहिक बिक्री, स्थानीय बाजार के बजाय बड़े बाजारों से जुड़ाव, और समूह का ब्रांड विकसित कर बेहतर कीमत सुनिश्चित करना।

(iv). मत्स्य भंडारण एवं मूल्य संवर्धन (Value Addition)–

- कोल्ड स्टोरेज, आइसिंग, प्रोसेसिंग (जैसे कटिंग, पैकेजिंग) जैसी सुविधाएँ विकसित कर मछली की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना और अधिक लाभ प्राप्त करना।

(v). वित्तीय सेवाओं एवं योजनाओं तक पहुँच–

- बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं (जैसे सब्सिडी, बीमा) और तकनीकी सहायता तक समूह के माध्यम से पहुँच को आसान एवं सुलभ बनाना, जिससे निवेश और मत्स्य उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि सुनिश्चित हो सके।

(vi). उपर्युक्त वर्णित मात्स्यिकी गतिविधि सभी FPG समूह अपने–अपने क्षेत्रीय FFPO के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे जिससे क्षेत्रीय संगठन की व्यापक हित एवं आवश्यकता को उच्च स्तर तक रखा जा सके तथा कठिनाईयों का समाधान प्राप्त हो सके।

6.3 किसान उत्पादक समूह (FPG) के गठन हेतु चिन्हित जिलों की विवरणी :–

क्र०	**क्षेत्रीय** FFPO	**संबद्ध** FPG
1	चंम्पारण	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी
2	मिथिला	दरभंगा, मधुबनी, सहरसा
3	तिरहुत	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान
4	शाहाबाद	पटना, भोजपुर, रोहतास
5	विक्रमशीला	भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया

7. योजना का भौतिक एवं वित्तीय आकार :–

योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 में राज्य में क्लस्टर क्षेत्रीय स्तर पर कुल 5 (पाँच) मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (FFPO) एवं प्रथम चरण में राज्य में जिला स्तर पर 15 (पंद्रह) किसान उत्पादक समूह (FPG) का गठन एवं संचालन किया जाना है। उक्त योजना के क्रियान्वयन पर वर्ष 2026–27, 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 में क्रमशः रू 457.60 लाख, रू 114.87 लाख रू 81.62 लाख एवं रू 39.86 लाख अर्थात कुल रुपये 693.95 लाख मात्र व्यय होने का अनुमान है (व्यय विवरणी अनुलग्नक–I संलगन)।

8. योजना का रूप–रेखा एवं संक्षिप्त विवरणी :–

8.1 राज्य में क्लस्टर क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation) :-

(i). बिहार राज्य में क्लस्टर क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) के गठन एवं क्रियान्वयन की योजना के तहत राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर पाँच यथा– चम्पारण, मिथिला, तिरहुत, विक्रमशीला एवं शाहाबाद मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन का गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

(ii). प्रत्येक मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन में कार्यकारी सदस्य के साथ न्यूनतम 10 (बाध्यकारी सदस्य होंगे) एवं इससे अधिक सदस्य होंगे जिसमें 25 से 30 प्रतिशत महिला–सदस्य अनिवार्य रूप से होगी।

(iii). इस योजना के तहत एफ०एफ०पी०ओ० का गठन प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट, 2013 (Producer Company Act, 2013) के तहत किया जाएगा, इसलिए एक व्यक्ति एक से अधिक संस्था का सदस्य हो सकेंगे।

(iv). राज्य में पूर्व से गठित एवं नवगठित तथा कार्यरत एफ०एफ०पी०ओ० / एफ०पी०ओ० क्षेत्रीय स्तर पर गठित क्लस्टर एफ०एफ०पी०ओ० के सदस्य होंगे।

(v). क्षेत्रीय स्तर पर क्लस्टर एफ०एफ०पी०ओ० के निदेशक मंडल के द्वारा पूर्व में गठित एवं कार्यरत एफ०एफ०पी०ओ० तथा नव गठित एफ०एफ० पी०ओ० के व्यवसायिक क्रियाकलाप / गतिविधियों के मूल्यांकन के उपरांत विधिवत नियमानुसार क्लस्टर एफ०एफ०पी०ओ० में शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(vi). क्लस्टर क्षेत्रीय स्तर पर FFPO के गठन, संचालन एवं प्रबंधन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु वैसे क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन (Cluster Based Business Organisation-CBBO) का चयन किया जाएगा जिनके पास FFPO के गठन एवं व्यवसायिक कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो।

(vii). क्लस्टर क्षेत्रीय एफ०एफ०पी०ओ० को वित्तीय सहायता (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2029–30 तक)–

(क) योजना के तहत मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना / बिहार जल कृषि एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार (गठन के उपरान्त) द्वारा गठित होने वाले प्रत्येक क्लस्टर क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) के गठन एवं संचालन / क्रियान्वयन पर सीड राशि सहित 131.29 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) के गठन एवं संचालन / क्रियान्वयन पर सीड राशि सहित 131.29 लाख की वित्तीय

सहायता राशि में से 20.00 लाख राशि (5.00 लाख प्रति वर्ष) FFPO के गठन, प्रबंधन आदि हेतु क्लस्टर आधरित व्यावसायिक संगठन (Cluster Based Business Organisation-CBBO) के लिए कर्णांकित है।

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय एफ०एफ०पी०ओ० को उपलब्ध कराये जाने वाले 111.29 लाख राशि में से बैंक ऋण सहायता (फिक्स्ड डिपॉजिट आधारित कैश क्रेडिट लिमिट हेतु) प्राप्त करने हेतु केवल प्रथम वर्ष में 25.00 लाख राशि सीड मनी तथा 35.00 लाख राशि क्षेत्रीय एफ०एफ०पी०ओ० के मार्केटिंग एवं ब्राडिंग (Marketing Linkage & Branding) तथा शेष 51.29 लाख राशि क्षेत्रीय एफ०एफ०पी०ओ० के मानव संसाधन, प्रशासनिक–कार्यालय–यात्रा व्यय आदि अवयव पर व्यय हेतु कर्णांकित है।

(घ) क्षेत्रीय एफ०एफ०पी०ओ० द्वारा सीड मनी की राशि को 3 (तीन) वर्षों के बाद अर्जित ब्याज सहित राशि को पुनः मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार को वापस किया जाएगा। उक्त अर्जित ब्याज सहित सीड मनी की राशि को मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार विधिवत राज्य सरकार के कोष में जमा किया जायेगा।

(ड.) इस प्रकार योजनान्तर्गत राज्य में 5 (पाँच) क्षेत्रीय मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) के गठन एवं संचालन/क्रियान्वयन पर सीड राशि सहित कुल 656.45 लाख राशि व्यय होने का अनुमान है।

8.2 किसान उत्पादक समूह (FPG)

(i). प्रस्तावित योजनान्तर्गत प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर गठित होने वाले एफ०आई०जी० समूहों के अध्यक्षों के द्वारा जिला स्तर पर केवल एक एफ०पी०जी० का गठन किया जा सकेगा जिसका विधिवत पंजीकरण संबंधित जिला के जिला मत्स्य कार्यालय के द्वारा किया जाएगा।

(ii). योजनान्तर्गत प्रथम चरण में जिलों में जिला स्तर पर 15 किसान उत्पादक समूह (FPG) का गठन किया जाएगा।

(iii). प्रत्येक किसान उत्पादक समूह (FPG) में 10–20 सदस्यों का छोटा समूह होगा, जिसमें 25 से 30 प्रतिशत सदस्य महिला होगी।

(iv). किसान उत्पादक समूह (FPG) के आंतरिक संरचना, कुशल प्रबंधन, संचालन आदि हेतु अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन/नामित सर्वसम्मति की जाएगी तथा वित्त प्रबंधन एवं संचालन हेतु समूह के नाम से बैंक खाता खोला जायेगा तथा सभी प्रकार का लेन–देन, व्यय

राशि आदि आवश्यक आय–व्यय की विवरणी का लेखा–जोखा/ अभिलेखों का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

(v). किसान उत्पादक समूह (FPG) को मत्स्य उत्पादन, तालाब प्रबंधन, फीड, रोग नियंत्रण एवं विपणन आदि से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हुए संबंधित क्लस्टर FFPO से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें इनपुट एवं बाजार दोनों स्तर पर सुदृढ़ समर्थन मिल सके।

(vi). किसान उत्पादक समूह (FPG) को वित्तीय सहायता–FPG को उत्पादन वृद्धि, सामूहिक विपणन, बेहतर मूल्य प्राप्ति एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकतम ₹ 2.5 लाख तक का अनुदान राशि रूप से प्रदान किया जाएगा।

(vii). FPG समूहों का मूल्यांकन उत्पादन में वृद्धि, बाजार से जुड़ाव, नियमित बैठक एवं अभिलेख संधारण, वित्तीय अनुशासन, नवाचार अपनाने तथा सदस्य संख्या में वृद्धि जैसे मानकों पर किया जाएगा। FPG जो इन मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें आगे चलकर Producer Company Act, 2013 के तहत FFPO के रूप में पंजीकरण हेतु चयनित किया जाएगा तथा उनके उन्नयन के लिए मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार (गठन के उपरान्त) द्वारा यथा आवश्यक तकनीकी, कानूनी एवं संस्थागत सहायता प्रदान की जाएगी।

(viii). योजनान्तर्गत एक जिला में अधिकतम एक FFPO का गठन किया जायेगा जिन्हें एक मताधिकार प्राप्त होगा।

(ix). FPG को उपर्युक्त अनुदान निम्नलिखित प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर किया जाएगा :–

(क) FPG के गठन अथवा क्लस्टर क्षेत्रीय FFPO से औपचारिक संबद्धता की तिथि से न्यूनतम 3 माह पूर्ण हो।

(ख) FPG द्वारा प्रत्येक माह आयोजित बैठकों की समीक्षा।

(ग) संबंधित क्षेत्रीय FFPO के साथ सक्रिय एवं दस्तावेज़ीकृत व्यावसायिक संबंध जैसे इनपुट खरीद, मछली बीज आपूर्ति, सामूहिक विपणन अथवा अन्य मात्स्यिकी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ाव।

(घ) FPG के FFPO के साथ सक्रिय व्यावसायिक संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ यथा–क्रय/विक्रय चालान, बैंक लेन–देन विवरण, डिलीवरी चालान अथवा आपूर्ति अभिलेखों की जाँच।

8.3 क्लस्टर आधरित व्यावसायिक संगठन (Cluster Based Business Organisation-CBBO) की चयन हेतु मानदंड

(i). सी०बी०बी०ओ० के रूप में कार्य करने के लिए पेशेवर संगठन की चयन एक पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

(ii). भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा पूर्व से पंजीकृत सी०बी०बी०ओ० का चयन सीमित निविदा/बीड अथवा Request for Proposal (RFP) प्रकाशन कर केवल तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

(iii). निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में पूर्व से गठित निविदा/क्रय समिति द्वारा सी०बी०बी०ओ० के चयन हेतु पात्रता, योग्यता एवं अन्य न्यूनतम अनिवार्यता तय किया जायेगा। उक्त निविदा/क्रय समिति द्वारा सी०बी०बी०ओ० के आवश्यक विशेषज्ञों की न्यूनतम आवश्यक योग्यता, विशेषज्ञता क्षेत्र और न्यूनतम अनुभव की जाँच किया जायेगा।

(iv). एफ०एफ०पी०ओ० के गठन तथा गठन के उपरान्त उन्हें प्रारंभिक सहायता, उसके क्रिया–कलाप, मात्स्यिकी व्यावसायिक गतिविधियों में आवश्यक सहयोग, समुचित वित्तीय कुशल प्रबंधन, अनुश्रवण आदि के उद्देश्य से सी०बी०बी०ओ० की प्रारंभिक नियुक्ति अधिकतम चार वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जलकृषि एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार द्वारा सी०बी०बी०ओ० के द्वारा निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके स्थान पर अन्य सुयोग्य सी०बी०बी०ओ० को शेष अवधि के लिए चयन किया जायेगा।

(v). मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार समय–समय पर सी०बी०बी०ओ० के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगी ताकि उनकी कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सेवाएं जारी रखा जाए।

(vi). सी.बी.बी.ओ के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ :–

(क) योजना में निहित दिशा–निर्देशों के आलोक में क्षेत्रीय एफ०एफ० पी०ओ० का गठन कराना।

(ख) सामुदायिक प्रोत्साहन में सहायता, आधारभूत सर्वेक्षण, मूल्य श्रृंखला अध्ययन, समूहों और एफ०एफ०पी०ओ० आवधिक बैठकों एवं क्रियान्वयन में सहायता करना।

(ग) एफ०एफ०पी०ओ० का पंजीकरण, प्रशिक्षण, प्रबंधन, रजिस्ट्रेशन पूंजी इक्विटी जुटाना।

(घ) एफ०एफ०पी०ओ०/किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण मॉड्युल विकसित करना एवं भ्रमण कार्यक्रम कराना।

(ङ) एफ०एफ०पी०ओ० के सदस्यों के बीच समन्वय एवं सामंजस्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।

(च) एफ०एफ०पी०ओ० की दीर्घावधि स्थिरता के लिए व्यावसायिक योजनाएं तैयार करना एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।

(छ) आवश्यकता और वृद्धि के अनुसार इक्विटि अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा प्राप्त करने में एफ०एफ०पी०ओ० को सहायता करना।

(ज) वैश्विक मत्स्य बाजार से जुड़ाव में सहायता प्रदान करना।

(झ) अपने क्षेत्राधीन FPG/FIG को भी गठन, संचालन, गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

(ञ) सी०बी०बी०ओ० को अनुदान राशि का भुगतान– मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार द्वारा प्रत्येक छः माह में चयनित सी०बी०बी०ओ० के निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन कर योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि का भुगतान करेगी। सी०बी०बी०ओ० के द्वारा प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

9. योजना का अनुश्रवण :–

(i). उक्त योजना का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार (गठन के उपरान्त) के द्वारा किया जाएगा।

(ii). योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार एवं क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित परिक्षेत्रीय उप मत्स्य निदेशक कार्यालय नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।

(iii). मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) एवं FIG/FPG का जिला स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

10. वित्तीय सहायता का भुगतान :–

योजना अंतर्गत गठित होने वाले मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन को कुल पाँच किश्तों में स्वीकृत वित्तीय सहायता का भुगतान संबंधित परिक्षत्र स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति के अनुशंसा पर मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/बिहार जल कृषि आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार (गठन के उपरान्त) द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता का भुगतान संगठन के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाएगा।

11. अन्य क्रियान्वयन अनुदेश :–

(i). मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) एवं किसान उत्पादक समूह (FPG)/किसान हित समूह (FIG) के गठन एवं क्रियान्वयन/संचालन हेतु अलग से आवश्तकतानुसार अनुदेश/दिशानिर्देश विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त निदेशक, मत्स्य, बिहार द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ii). इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष अर्थात 2026–27, 2027–28, 2028–29 से 2029–30 में किया जायेगा। उक्त योजना के क्रियान्वयन पर वर्ष 2026–27, 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 में क्रमशः रुपये 457.60 लाख, रुपये 114.87 लाख रुपये 81.62 लाख एवं रुपये 39.86 लाख अर्थात कुल रुपये 693.95 लाख मात्र व्यय होने का अनुमान है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न)।

(iii). योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता/बिहार स्टेट एक्वॉकल्चर डेवलपमेन्ट निगम लि० (गठन उपरान्त) के बैंक खाता/पी०एल० खाता में अंतरित कर योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

(iv). योजना के सफल क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयन के क्रम में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होता है तो योजना में आंशिक संशोधन एवं आवश्यक दिशा–निर्देश/अनुदेश निर्गत करने का अधिकार अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पास निहित होगा।

12. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

13. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुरूप निदेशक, मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

14. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

15. इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0119 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405001010119 विषय शीर्ष–0119.31.06 –सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि तथा आंतरिक सामंजन/पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन के माध्यम बजटीय उपबंध प्राप्त कर योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

16. निदेशक, मत्स्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011

के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

17. दिनांक–17.06.2026 को सम्पन्न बैठक में स्थायी वित्त समिति द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)68/2026 के पृष्ठ 16–15/प०.

18. दिनांक–08.07.2026 को संपन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)68/2026 के पृष्ठ 33–32/प०.

19. यह स्कीम सात निश्चय–3 अन्तर्गत एक नयी स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)68/2026 के पृष्ठ–21/टि० एवं दिनांक–20.07.2026.

20. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)68/2026 के पृष्ठ–20/टि० एवं डायरी संख्या–475, दिनांक–15.07.2026.

21. वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)68/2026– 4172 /पटना–15, दिनांक– 05/08 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)68/2026– 4172 /पटना–15, दिनांक– 05/08 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)68 / 2026– 4172 / पटना–15, दिनांक–05 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक / सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)68 / 2026– 4172 / पटना–15, दिनांक–05 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)68 / 2026– 4172 / पटना–15, दिनांक–05 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)68 / 2026– 4172 / पटना–15, दिनांक–05 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 में सात निश्चय–3 के तहत "बिहार राज्य के मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (Fish Farmer Producer Organisation-FFPO) एवं किसान उत्पादक समूह (FPG) एवं किसान हित समूह (FIG) के गठन एवं संचालन की योजना" पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	वर्षवार व्यय हेतु स्वीकृत राशि 2026–27	वर्षवार व्यय हेतु स्वीकृत राशि 2027–28	वर्षवार व्यय हेतु स्वीकृत राशि 2028–29	वर्षवार व्यय हेतु स्वीकृत राशि 2029–30	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0119 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405001010119.	0119.31.06 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	693.95	457.60	114.87	31.62	39.86	निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना।	कोषागार (सभी)।
		योग :–	**693.95**	**457.60**	**114.87**	**31.62**	**39.86**		

कुल (रुपये छः करोड़ तिरानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र।

4172
05/08/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–II

Yearwise Financial Assistance to FFPO & FPG

Sl	Components		No.	Monthly (Lakh)	2026-27 (Lakh)	2027-28 (Lakh)	2028-29 (Lakh)	2029-30 (Lakh)	Total (Lakh)
A	**Financial Assistance to one CBBO & one FFPO (HR)**								
1	CBBO (Grant-in-Aid)	Financial Assistance to one CBBO	1	**LS**	5.00000	5.00000	5.00000	5.00000	20.00000
2	Human Resources (Per FPPO) (Grant-in-Aid)	Chief Executive Officer (FPPO)	1	0.50000	6.00000	5.67000	3.57210	0.93768	**16.17978**
3		Accountant-Cum-Tally Expert	1	0.25000	3.00000	2.83500	1.78605	0.46884	**8.08989**
4		Marketing Manager	1	0.40000	4.80000	4.53600	2.85768	0.75014	**12.94382**
				1.15000	**18.80000**	**18.04100**	**13.21583**	**7.15666**	**57.21349**
B	**Financial Assistance to one FFPO (Administrative & Other Expenses)**								
1	Administrative, Office & Traveling cost per FFPO (Grant-in-Aid)	Office Rent	1	0.15000	1.80000	1.70100	1.07163	0.28130	**4.85393**
2		Electricty Tarrif	1	0.02000	0.24000	0.22680	0.14288	0.03751	**0.64719**
3		Utilities & Communication	1	0.05000	0.60000	0.56700	0.35721	0.09377	**1.61798**
4		Office operations & Consumables		0.10000	1.20000	1.13400	0.71442	0.18754	**3.23596**
5		Travel & field mobility		0.11500	1.38000	1.30410	0.82158	0.21567	**3.72135**
				0.43500	**5.22000**	**4.93290**	**3.10773**	**0.81578**	**14.07641**
C	**Financial Assistance to one FFPO (Seed Money, Marketing Linkage & Branding)**								
1	Support for Seed Money (Returnable)	Seed Money			25.00000				25.00000
2	Support for Marketing Linkage & Branding (Grant-in-Aid)	Marketing Linkages & Branding			35.00000				35.00000
					60.00000	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**60.00000**
TOTAL (A+B+C) for One FFPO					84.02000	22.97390	16.32356	7.97243	131.28989
TOTAL (A+B+C) for FIVE FFPO					**420.10000**	**114.86950**	**81.61779**	**39.86217**	**656.44945**
D	**Financial Assistance to FPG**								
Grant-in Aid Assistance for One FPG					2.50000				2.50000
TOTAL (D) Grant-in Aid for FIFTEEN FPG					**37.50000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	37.50000
GRAND TOTAL (A+B+C+D)					**457.60000**	**114.86950**	**81.61779**	**39.86217**	**693.94945**
Say,					**457.60000**	**114.87**	**81.62**	**39.86**	**693.95000**

4172
05/08/25

सरकार के संयुक्त सचिव